उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या /XVII–2/2011–01(15)/2010
देहरादून दिनांक 27 मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम–2000 (2006 के संशोधन अधिनियम–33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश, पालन पोषण करने, परिवार की देखरेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा, दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहमति पत्र (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) दिनांक 19 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षरित हो जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल महोदय की सहर्ष अनुमति से प्रदेश में दिनांक 19 जनवरी, 2011 से समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) तत्कालिक प्रभाव से लागू हो गई है।

अतः सभी सम्बन्धित अधिकारी/प्राधिकारी समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के सम्बन्ध में जारी किए गए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्याः–336/XVII–2/2011–01(15)/2010 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस कार्यालय ज्ञाप को सरकारी गजट के अगले अंक में विधायी परिशिष्ट खण्ड–ख एवं भाग–4 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त, कुमायूं मण्डल /गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव